

यूपी के युवाओं को नौकरी देने पर जीसीसी को आर्थिक मदद में वरीयता

राष्ट्र, जागरण• लखनऊ : ग्लोबल केपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) यानी वैश्विक क्षमता केंद्रों में यूपी के युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देने वाली कंपनियों को सरकार आर्थिक मदद में वरीयता देगी। प्रत्येक जीसीसी को अधिकतम 60 करोड़ रुपये तक का वेतन अनुदान (पेरोल-सब्सिडी) दिया जाएगा। प्रदेश के विद्यार्थियों को इंटर्नशिप कराने के लिए भी इन्हें विशेष आर्थिक मदद दी जाएगी। इन केंद्रों में उपर के युवाओं को नौकरी व इंटर्नशिप के विशेष अवसर दिलाने के लिए प्रस्तावित यूपी जीसीसी नीति-2024 में व्यवस्था की गई है। जीसीसी ऐसे बहुआयामी सुविधायुक्त केंद्र होते हैं जो कंपनी को

- ग्लोबल केपेबिलिटी सेंटर को 60 करोड़ रुपये तक वेतन अनुदान देगी सरकार

आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआइ), साइबर सुरक्षा, डाटा विश्लेषण, रोबोटिक्स और क्लाउड-व्हाइटम कंप्यूटिंग इत्यादि तकनीकी पर आधारित सेवाएं उपलब्ध कराते हैं।

आइटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा पांच वर्ष के लिए तैयार की गई जीसीसी नीति को जल्द लागू करने की तैयारी है। नीति के तहत निवेशकों को तमाम छृट दी जाएगी। सरकार संबंधित कंपनियों में किसी भी युवा को नौकरी पर रखने पर प्रति कर्मचारी 10 हजार रुपये प्रति महीने वेतन

अनुदान (पेरोल-सब्सिडी) देगी। अगर कोई युवा उपर का मूल निवासी है तो यह वेतन अनुदान प्रति कर्मचारी 15 हजार रुपये प्रति महीना मिलेगा। यही आर्थिक मदद महिला, अनुसूचित जाति व जनजाति और दिव्यांगजनों को नौकरी पर रखने पर कंपनियों को दी जाएगी। प्रति वर्ष अधिकतम 20 करोड़ रुपये की मदद मिलेगी जो कि तीन वर्षों तक दी जाएगी। यूपी के मूल निवासी ऐसे 30 युवा जिनकी यह पहली नौकरी होगी, उन्हें रखने पर राज्य सरकार प्रति कर्मचारी 20 हजार रुपये प्रति महीने तक वेतन अनुदान देकर कंपनी की मदद करेगी। शर्त यह है कि यूपी के रहने वाले ऐसे युवा ने प्रदेश के ही किसी शिक्षण संस्थान से स्नातक व स्नातकोत्तर की पढ़ाई की हो। पांच वर्ष तक कंपनियों को यह वेतन अनुदान दिया जाएगा। जीसीसी

में यूपी के मूल निवासी 50 छात्रों को हर वर्ष इंटर्नशिप कराने के लिए भी राज्य सरकार विशेष प्रोत्साहन राशि देगी। पांच हजार रुपये प्रति छात्र प्रति महीने के हिसाब से यह प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। छात्रों को न्यूनतम दो महीने की इंटर्नशिप करानी होगी। सरकार तीन वर्ष तक यह विशेष प्रोत्साहन राशि देगी।

कंपनियों के कर्मचारियों के कौशल विकास प्रशिक्षण में भी सरकार आर्थिक मदद देगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 50-50 लाख रुपये तीन वर्षों तक दिया जाएगा। आगरा, बरेली, गोरखपुर व वाराणसी में जीसीसी स्थापित होंगे। इस नीति के जरिये 40 आइटी पार्क व 25 स्पेशल इकोनामिक जोन (एसईजेड) में भी निवेश व उपक्रम स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा।